

Dr. Preeti Ranjan
H. D. Jain College
Deptt of History

M.A. ~~II~~ II

Paper - 5

Topic - Kautilya Ka
Saptanga Siddhant

1. कौटिल्य द्वारा वर्णित राज्य के साम्राज्य - विस्तार - की विवेचना करें।
 भारतीय साम्राज्य के अन्तर्गत, मनु, कौटिल्य और शुक्र अचार्य-
 राजशाहीरूपों के द्वारा राज्य की कल्पना एक ही ही कौटिल्य-
 कायम शरीर के रूप में की गई है, जिसके अंग अंग वे हैं।
 शुक्र नीति में राज्य के इन अंगों की मान्य शरीर में
 तुलना करते हुए कहा गया है,

"इस शरीर की- राज्य में राजा मूर्धा (मिर) के समान है,
 अमात्य आँख है, मिर कान है, कौष मुख है, जनपद हैं,
 दुर्ग हाथ हैं और- राष्ट्र पैर है।"

इन किशोरों के समान कौटिल्य ने भी- राज्य-
 को एक प्रहरीयुक्त माना है। राज्य की पै- सार प्रहरीयाँ या-
 अंग इस प्रकार हैं - स्वामि, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कौष, देस-
 के और- मिर। कौटिल्य ने इस रूप- प्रहरीयों का विशद
 विवेचन इस प्रकार किया है:-

17 स्वामि:- कौटिल्य के अनुसार- राजा राज्य का प्रधान अंग
 है। इसे उसने स्वामि की संज्ञा दी है। स्वामि का अर्थ-
 आदेश देने वाला या शासन करने वाला स्व है। राजा में-
 अनेक गुण होने चाहिए, जैसे - विनय- विवेक, शास्त्रज्ञान,
 समपाशुवक- व्यवहार करने की योग्यता, प्रजा की पीषण और-
 इष्टों की- समता, शत्रु- मिर का ज्ञान, शत्रु की- मुद्रियों को-
 समझने की शक्ति और चापलूसी में न फँसने की-
 जागरूकता। कौटिल्य कहता है "प्रजा सुखे सुखं राज्यः
 प्रजा नाम हिते हितम् नाल्म प्रिय हितः राज्यः प्रजानां दु-
 प्रिय हितम्।"

अर्थात् प्रजा के सुख में राजा का सुख है उसे अच्छा
 में राजा का कल्याण है, जो कुछ राजा को स्वयं अच्छा लगे,
 उसे अच्छा नहीं समझना चाहिए। फलतः जो कुछ भी- (उसकी)-
 प्रजा की जानने दे, राजा के द्वारा वह उसे ही अच्छा समझना
 जाना चाहिए। उसने अनुसार राजा और प्रजा में पिता-
 पुत्र का संबंध होना चाहिए। राजा के अनेक कार्यों में
 वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना। देस की व्यवस्था करना-
 लोकहित कार्य आदि हैं। कौटिल्य का राजा अल्पाचारी- भारी-

हे सुकना, चाहे वह कुछ बातों में स्वेच्छाकारी रहे
क्योंकि वह कार्यशास्त्र और नीतिशास्त्र के सुस्थापित
नियमों के अन्तर्गत रहता है।

*2) आमात्य :-

आमात्य से कौटिल्य का आशय मंत्रियों तथा
उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से है। कौटिल्य ने उन्हें
सचिव भी कहा है। उसके अनुसार राजा को चाहिए कि
वह निष्ठावान और योग्य व्यक्तियों को ही आमात्य पद
पर नियुक्त करे तथा अपने सहायकों संबंधियों, मित्रादि
जनों को आमात्य न बनावे, यद्यपि वे इसकी चाहता नहीं
रखते हैं। अपने कार्यशास्त्र में राजा के लिए मंत्रिपरिषद्
की आवश्यकता पर बल बतल कर दिया है। उसके अनुसार
राज्य एक रूप है, जैसे एक पहिर से नहीं चल
सकता। उही प्रकार मंत्रियों की सहायता के बिना अकेले
राजा राज्य का संचालन नहीं कर सकता। अतः राजा
केवल योग्य मंत्री ही नियुक्त करे। मंत्रियों के साथ
मंत्रणा किए बिना राजा का काम नहीं चल सकता। कौटिल्य
ने मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की संख्या सम्य, पारिपति और
आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। इसके अनुसार सामा-पत-नीन
या चार मंत्रियों के साथ मंत्रणा की जानी चाहिए।

3) जनपद

जनपद का अर्थ है जनसमुदाय भूमि। वर्तमान काल में
जैसे हम जनता और भूमि कहते हैं। कौटिल्य ने उन दोनों को
एक ही पद में सम्मिलित करके इसे जनपद का नाम दिया है।
जैसी और अरुण की भाँति कौटिल्य ने जनता और भूमि
दोनों का अन्तः-2 वचन भी दिया है। उसका मत है कि
जनता एक ही निष्ठावान, स्वाभिमानी तथा संपन्न
है। चाहिए कि राजा इसका लोभाल जात करों को लुप्त
की क्षमता रखनी हो तथा स्वेच्छा से भक्त करनी हो। जनता
में शासक की आज्ञाओं का स्वाभाविक रूप से पालन
उत्पन्न की प्रवृत्ति होने चाहिए।

भूमि के विषय में उक्त विचार है
कि वह प्रत्येक प्रकार से पूर्ण होने चाहिए। उसके अन्तर्गत, वामादि
वन, खाने, जल-स्यल-मार्ग, उपजाऊ मिट्टी, हर प्रकार के
पशु-पक्षी, उर्वर पर्वत-इत्यादि होने चाहिए। कौटिल्य पड़ोसी
राज्यों के विषय में विचार करते हुए कहता है कि सीमावर्ती राज्य अधिक
शक्तिशाली नहीं होने चाहिए।

राज्य के सार्वभौमिक अधिकारों की रक्षा करना है।

4) दुर्ग :- कौटिल्य के अनुसार दुर्ग ही राज्य का उतना ही महत्वपूर्ण अंग है जितनी पत्थर, अग्नि अपवा, राजा । दुर्ग राज्य की रक्षात्मक शक्ति और आक्रामक शक्ति दोनों का प्रतीक है। दुर्ग जलकुल और ऐले होने चाहिए, जिनमें सेना के लिए अच्छी मोर्चेबंदी हो और पानी, गोधूम, सामग्री तथा कारखाने का अच्छा प्रबंध हो। दुर्ग चार प्रकार के हैं :- 1) कौटिल्य (जो निर्जन मरु प्रदेश में बना हो) 2) दुर्ग (जो वनों के बीच में हो) 3) परिभ्रम दुर्ग 4) व्यापक दुर्ग ।

5) कोष :- कौटिल्य कोष को बहुत महत्व देता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के पास अना, मूषा कोष और आप के लयायी लपोल होने चाहिए । इस संबंध में उलका विचार है कि राजा प्रजा से उपज का बड़ा भाग ले तथा कोष में बहुत मूल्य धारण या मुद्राएँ पर्याप्त मात्रा में रखे । कोष धर्मपूर्वक रखित किया जाना चाहिए और वह मात्रा में ईमान अर्पित हो कि उन्हे विपन्निकाल में ही दीर्घकाल तक निवर्तित हो सके ।

6) ईड अपवा सेना

राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का विशेष महत्व है। कौटिल्य का कथन है कि जिस राजा के पास सेना बल होता है, उन्हे किन्नर तो मिर बने ही रहते हैं, किन्तु शत्रु तब ही मिर बन पाते हैं, सैनिक बस्त्र-शस्त्र के प्रयोग में ही मनी-ग्रांति प्रशिक्षित वीर, स्वाभिमान और राजदुर्ग प्रेषी होना चाहिए । वह क्षत्रिय वर्ग ही सेना में नियुक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जानता है, किन्तु उलका विचार है कि आश्चर्यकृत्य करने पर (वैश्य और शूद्र भी सेना में नियुक्त किए जा सकते हैं) कौटिल्य के अनुसार शूद्र सेना विषय की कुंजी है । अतः सैनिकों को अच्छा वेतन एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान करने से दुर्ग संतुष्ट तथा प्रसन्न रखा जाना चाहिए ।

7) मित्र :-

कौटिल्य के अनुसार मित्र ही राज्य का एक आवश्यक अंग है । उन्के अनुसार मित्र आनुवंशिक होना चाहिए न कि कृत्रिम । वृहस्पति का जो पक्ष भी सहायता की आवश्यकता पर सहायता के लिए आए तथा मित्रों संबंध - विच्छेद की-

संघाना न राज्य के इन सात अंगों (Seven Organs) में से
 के विवेक के साथ ही कोटिल्य ने इनके सार्वभौमिक
 पर विचार किया है। इन सात अंगों के संबंध में मनु,
 गौतम और शुक्र जैसे पुराने आचार्यों का मत भी यह था
 कि स्वामी, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, नैस और मिस में
 महत्वपूर्ण है। किन्तु आचार्य चाणक्य ने इस बात का
 खंडन करते हुए कहा है कि स्वामी की अपेक्षा आमात्य ही
 अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि पालाकेतु पुराण का
 संस्मरण तो आमात्य ही करता है। इस बात पर कोटिल्य
 आचार्य चाणक्य से असहमति व्यक्त करते हुए लिखता
 है कि आमात्य से राजा अधिक महत्वपूर्ण होता
 है क्योंकि राजा आमात्य के व्यसनी होने पर उसके
 स्थान पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है।
 इस लिए कोटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धान्त में राजा
 को विशेष महत्व दिया है, और वह राजा की पूरे शासन
 की आचारशिला मानता है। इस संबंध में उलने आठों
 अधिकरण के दूसरे अध्याय में लिखा है "राजा
 राज्यमित्री पृथक् संज्ञेय" अर्थात् संज्ञेय में राज्य की केवल
 छोटी-पट्टी या अंग है - राजा और राज्य।

आधुनिक राजशाही राज्य के याद
 तत्व मानते हैं - सू-भाषा, जनसंख्या, सैन्य और संप्रभुता
 इस दृष्टि से उपर्युक्त वर्णित राज्य के अंगों में कोष,
 दुर्ग और मिस को स्थान दिया जाना उपयुक्त प्रतीत
 नहीं होता है। परन्तु शास्यारण रूप से यह स्वीकार
 किया जा सकता है कि प्राचीनकाल में कोष और दुर्ग
 राज्य के अहितत्व एवं सुरक्षा तथा जनता की सुरक्षा के
 लिए आवश्यक तत्व रहे होंगे। यही बात मिस के संबंध में
 भी जा सकती है। आज भी छोटे-राज्य बिना किली-शक्तिशाली
 मिस राज्य के बिना अपना अहितत्व सुरक्षित नहीं रख सकते।

मिस कोटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धान्त द्वारा राज्यशास्त्र और राजसंस्था के
 अधिक लौकिक और धर्मनिरपेक्ष रूप प्रकट किया है। स्मृतिकारों तथा
 वेदों में तो राजा के पुरोहितों की व्यवहारिक राजनीतिक में
 महत्वपूर्ण स्थान दिया था। किन्तु कोटिल्य के अर्थशास्त्र में पुरोहित
 पद की-चर्चा बहुत कम है और राज्य के सात अंगों में उसे व्यवसाय
 न देकर उच्च महत्व कम कर दिया है।